मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 2014 (आषाढ़ 20, शक सम्वत्1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 35 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों प्रश्नों (प्रश्न संख्या-1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18 एवं 21) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 78 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 102 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा प्रश्न संख्या-1 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 20 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर, आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं निम्नलिखित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तदनुसार –

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की रतलाम जिले में बनाये जा रहे स्कूल भवनों में भ्रष्टाचार होने,
(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली क्षेत्र के ग्रामों में बंदरों का आतंक होने,
(3) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के महाविद्यालय में एल.एल.बी. की कक्षाएं चालू न होने,
(4) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की होशंगाबाद जिले के बनखेड़ी में कब्जेधारियों को आवासीय पट्टे दिये जाने,
(5) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के विजयपुर के ग्राम अन्धूपुरा से चोरी गई गाड़ी को पुलिस द्वारा फरियादी को न सौंपे जाने,
(6) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की हाथीडोल और जामुन तिपनी ग्रामों के विद्युतविहीन होने,
(7) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की भिण्ड जिले की सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन होने,
(8) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच जिले में रेल्वे लाईन हेतु अंडर ब्रिज बनाये जाने,
(9) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह के ग्राम सेल्दा में कृषकों को भू-अधिग्रहण का मुआवजा न मिलने,
(10) पं. रमेश दुबे, सदस्य की प्रदेश में सर्पदंश से पशुओं की मौत होने पर मुआवजे का प्रावधान किये जाने,
(11) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के ग्राम मेहरा बुजुर्ग के एक परिवार के साथ अभद्रता करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई न होने,
(12) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की शहडोल जिले की खदान में डम्पर निकालते वक्त एक मजदूर की मौत होने,
(13) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले के विद्युत वितरण कर्मियों द्वारा रख-रखाव की राशि स्वयं पर व्यय करने,

(14) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य की राजगढ़ जिले की पीपलहेला सड़क के जर्जर होने,
(15) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की सिवनी जिले के लखनादौन पेट्रोल पम्प के पास ट्रक दुर्घटना से शिक्षक की मौत होने,
(16) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य की रीवा जिले के सामान्य कार्डहोल्डर्स को केरोसिन न मिलने,
(17) श्री नानाभाऊ मोहोड़, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के सौंसर एवं पाण्ढुर्णा में ओला पीड़ितों को सहायता राशि न दी जाने,
(18) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर में सड़कों की खुदाई होने से दुर्घटनाएं होने,
(19) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य की शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील में ओला पीड़ितों को सहायता राशि न दी जाने तथा
(20) श्री विष्णु खत्री, सदस्य की भोपाल जिले की सीमा पर नजीराबाद सूरजपुरा सड़क मार्ग के जर्जर होने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

3. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार –

(1) श्री मुकेश नायक, सदस्य ने राज्य ओपन स्कूल के अंतर्गत अध्ययनरत छात्रों की परीक्षाएं समयावधि में आयोजित न किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री पारस चन्द्र जैन, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री देवेन्द्र वर्मा तथा सचिन यादव, सदस्यगण ने प्रदेश में प्रतिबंधित इंजेक्शन दुधारू पशुओं को लगाये जाने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
सुश्री कुसुम सिंह महदेले, पशुपालन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) सर्वश्री जितू पटवारी तथा रामनिवास रावत, सदस्यगण तथा सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने इंदौर में बिल्डर द्वारा वकीलों के साथ मारपीट किये जाने ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा ध्यानाकर्षण पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

(4) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य ने खाचरौद-रतलाम सड़क मार्ग का घटिया निर्माण होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.
श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(2) श्री गिरीश भंडारी (जिला-नरसिंहगढ़)
(3) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(4) श्री आर.डी.प्रजापति (जिला-छतरपुर)

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 2014 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई हैं :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014)	**1 घन्टा**
2.	मध्यप्रदेश उपकर (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 16 सन् 2014)	**30 मिनट**
3.	मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 की धारा 19 के अंतर्गत उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012 पर चर्चा.	**1 घन्टा**
4.	मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा, वर्ष 2011-12 पर चर्चा.	**1 घन्टा**
5.	ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा न मिलने की ओर सर्वश्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा, कमलेश्वर पटेल,रामनिवास रावत, सदस्यगण की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा.	**1 घन्टा 30 मिनट**
6.	प्रदेश में अवर्षा की स्थिति पर श्री गिरीश गौतम, श्रीमती अर्चना चिटनीस, सर्वश्री राजेन्द्र पांडे, अमर सिंह यादव, रमाकांत तिवारी, श्रीमती नीलम अभय मिश्रा तथा श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा	**1 घन्टा 30 मिनट**

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार दिनांक 11 से 22 जुलाई, 2014 तक सभा की बैठकों में भोजनावकाश नहीं होगा.

श्री शरद जैन एडव्होकेट, राज्यमंत्री, संसदीय कार्य ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(7) श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए दो हजार सात सौ तिरासी करोड़, नब्बे लाख, चंवालीस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या – 67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए पाँच सौ पैंतीस करोड़, बावन लाख, अट्ठानवे हजार रुपये, तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

7. अध्यक्षीय व्यवस्था
विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन विलम्ब से प्राप्त होने विषयक

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा विभागों से विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन विलम्ब से प्राप्त होने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया. अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक निर्माण विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन वितरित होने की जानकारी दी गई तथा भविष्य में विभागों द्वारा इस संबंध में ध्यान रखने संबंधी व्यवस्था भी दी गई.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

8. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(2) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(3) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(4) डॉ. मोहन यादव
(5) श्री यादवेन्द्र सिंह
(6) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(7) श्री लाखन सिंह यादव
(8) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(9) श्री दिनेश राय 'मुनमुन'
(10) श्री अरूण भीमावद
(11) श्री इंदर सिंह परमार
(12) श्री मधु भगत
(13) श्री दिलीप सिंह शेखावत
(14) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना)
(15) श्री कुंवर सिंह टेकाम
(16) श्री दिलीप सिंह परिहार
(17) डॉ. योगेन्द्र निर्मल
(18) श्री सूबेदार सिंह रजौधा
(19) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(20) पं. रमेश दुबे
(21)

9. अध्यक्षीय घोषणा
अनुदान मांगों पर चर्चा के पश्चात् अशासकीय कार्य लिए जाने विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि – "मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घन्टे अशासकीय कार्यों के सम्पादन के लिए नियत हैं. परन्तु, आज कार्यसूची में उल्लेखित कृषि विभाग की मांगों पर चर्चा के उपरांत अशासकीय कार्य लिया जायेगा."

कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा लोक निर्माण मंत्री के उत्तर के पश्चात अशासकीय कार्य लेने हेतु अनुरोध किया गया. किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में पूर्व में किये गये निर्णय से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया, जिसके अनुसार आज दिनांक 11 जुलाई, 2014 को कृषि विभाग की मांगों तक का कार्य पूर्ण किया जाना है.

10. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(22) कुंवर विक्रम सिंह
(23) श्री अनिल फिरोजिया

(24) श्री सचिन यादव
(25) श्री सत्यप्रकाश सखवार (एडव्होकेट)

श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

11. अध्यक्षीय घोषणा (क्रमश:)

कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा पुन: अनुरोध करने पर, अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से कृषि विभाग की मांगों को आज प्रस्तुत करके तथा उस पर पक्ष विपक्ष के एक-एक सदस्य द्वारा चर्चा में भाग लेने के उपरान्त, सोमवार दिनांक 14 जुलाई, 2014 को इन मांगों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण करने संबंधी घोषणा की गई.

12. वर्ष 2014-15 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(8) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए दो हजार तीन सौ सतहत्तर करोड़, पचपन लाख, इकहत्तर हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए एक सौ तेरह करोड़, पचास लाख, एक हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) श्री बहादुर सिंह चौहान
(चर्चा जारी)

13. अशासकीय संकल्प

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि – "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि 12198 ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा 11701 जबलपुर-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन्स का ठहराव पिपरई जिला अशोकनगर में किया जाय." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

(2) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि – " सदन का यह मत है कि कृषि उपज मण्डियों में बिचौलियों तथा दलालों से कृषकों को बचाने हेतु मण्डियों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे व इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगाये जायें." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने उत्तर दिया.

सदन की अनुमति से संकल्प वापिस हुआ।

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि – " सदन का यह मत है कि गाय के मरने के बाद शासन खर्च पर जलाने एवं दफनाने व उसकी हड्डी व चर्बी के व्यवसाय पर रोक लगाई जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री आरिफ अकील
(2) डॉ. गोविन्द सिंह
(3) श्री रामनिवास रावत

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. संकल्प पर श्री मुकेश नायक, सदस्य, डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री तथा श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी विचार व्यक्त किये गये.

संकल्प पर मत विभाजन हुआ.

संकल्प के पक्ष में 31 तथा विपक्ष में 55 मत पड़े.

मत विभाजन द्वारा संकल्प अस्वीकृत हुआ।

अपरान्ह 4.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 14 जुलाई, 2014 (23 आषाढ़, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 11 जुलाई, 2014